



न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर,

कैम्प भोपाल

P23-4320-II/16

प्रकरण क्र. : .....

बन्ने खाँ आत्मज नन्हें खाँ, वयस्क  
निवासी – ग्राम तकिया, तहसील श्यामपुर,  
ज़िला सीहोर .....

प्रार्थी

विरुद्ध

के. एम. निजाम आत्मज सुजात, वयस्क  
निवासी – म. नं. 03, कांग्रेस नगर,  
बैरसिया रोड, भोपाल .....

प्रतिप्रार्थी

पुनर्विलोकन अंतर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध  
आदेश दिनांक 21.09.2016, जो प्रकरण क्र. 4306-2/13 में न्यायालय  
श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा पारित किया गया।

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह पुनर्विलोकन प्रस्तुत है :-

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा क्र. 134/79/2, कुल रक्बा 2.246 हेक्टेयर में से 1.306 हेक्टेयर भूमि स्थित ग्राम सतपौन, तहसील व ज़िला सीहोर को विक्रय करने हेतु प्रार्थी ने शाकिब खान के पक्ष में मुख्लारनामा पंजीयत कराया था, किन्तु मुख्लार ने शर्तों का पालन नहीं किया था, इस कारण से प्रार्थी ने उक्त मुख्लारनामा निरस्त कर दिया था।
02. यह कि, उक्त मुख्लारनामे का नाजायज लाभ लेकर उक्त शाकिब खान ने प्रार्थी की भूमि के विक्रय-पत्र का पंजीयन प्रतिप्रार्थी के पक्ष में करा दिया। प्रतिप्रार्थी द्वारा तहसील न्यायालय में नामांतरण आवेदन प्रस्तुत होने पर प्रार्थी ने उस पर आपत्ति की, किन्तु आदेश दिनांक 05.10.2012 के द्वारा प्रतिप्रार्थी के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत किया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर  
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 4326—दो / 2016

जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२४-१२-२०१५	<p>आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में इस न्यायालय के मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21-9-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>म०प्र० भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या</li> <li>2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या</li> <li>3 कोई अन्य पर्याप्त कारण</li> </ol> <p>पूर्वाधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर अंतिम एवं विस्तृत आदेश पारित किया गया है। आवेदक अभिभाषक ने पुनर्विलोकन में उन्हीं आधारों को उठाया है जिनका निराकरण निगरानी प्रकरण में किया जा चुका है। पुनर्विलोकन में ग्राहयता का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः यह पुनर्विलोकन आवेदन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है।</p> <p>( एस० एस० ) अली सदस्य</p> <p><i>(Signature)</i></p>	